

28/10/24 पञ्जावली फेरा डूँडी

पञ्जावली का अवलोकन किया  
जसा बाद अवलोकन पाया की अपीलान्त  
पञ्जावली की फेरनी करने हेतु वकालतन  
मथवा अमालतन उपस्थित नहीं है

से ही फिर पर न्यायालय द्वारा  
अपीलाण्ट के आवेदन लगावई गई।  
अबिन अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित  
नहीं हुए। ऐसी स्थिति में पत्रावली  
अपम हाजरी अपम केरवी में खारीज  
की जाती है। पत्रावली फ़ैमल में सुनार  
होकर दाखिल दफ्तर हो।

~~अतिरिक्त सहायक आयुक्त~~  
पानी (राज.)